

**प्रेषक**

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश।

**सेवा में**

समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 2144/शि0का0लख0/2007

दिनांक 13.02.2007

विषय- जनपदीय मूल्यांकन सूची को यथार्थपरक बनाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

आप अवगत हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जनपदों का शहरीकरण तीव्रता से गांवों की ओर अग्रसर होते हुए विस्तारित हो रहा है। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व से स्थापित पुरानी ग्रामीण आबादी का विस्तार भी बहुत तेजी से गांव के बाहर की ओर हो रहा है। दिन प्रतिदिन सड़कों के किनारे एवं अन्य विकासशील क्षेत्रों में बाजार एवं औद्योगीकरण का विकास भी तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार तहसील ब्लाक, नगर पंचायत एवं नगरपालिका के क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है और ऐसे संस्थानों, प्रतिष्ठानों तथा विकसित ग्रामीण क्षेत्रों से सटी कृषि भूमि में कृषि से इतर औद्योगिक, आवासीय, व्यवसायिक, शैक्षिक प्रतिष्ठानों आदि का विकास हो रहा है। मुख्य रूप से सड़क से सटे कृषि भूमि के गाटों का विकास आबादी एवं अन्य प्रयोजन के लिये किया जा रहा है। इस प्रकार के विकास से काफी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का परिवर्तन कृषि से इतर हो रहा है।

उपरोक्त के क्रम में आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया सतत होती है और इसका उद्देश्य जहाँ एक ओर करापवंचन को रोकना है वही दूसरी ओर व्यवसायिक/वर्तमान बाजार दर से अत्यधिक घोषित दरों को व्यवहारिक बनाना भी है। मूल्यांकन सूची का उद्देश्य वास्तविक, वर्तमान मूल्य का प्रतिबिंबन है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान प्रचलित मूल्यांकन सूची में उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत वास्तविक भू-उपयोग एवं प्रश्नगत क्षेत्र का वर्तमान पोटेन्शियल भी प्रकट हो जाये।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में यदि उपरोक्तानुसार कृषि भूमि में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे यथार्थपरक बनाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/जिला निबन्धक एवं उपनिबन्धकगण के सहयोग से वर्तमान प्रचलित मूल्यांकन सूची में तदानुसार परिवर्तन/संशोधन करवाना सुनिश्चित करें।

**भवदीय**

(संजीव द्वे)

संख्या

/शि0का0लख0/2007

दिनांक 2007

प्रतिलिपि:-

- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मूल्यांकन सूची में उपरोक्तानुसार यथावश्यक संशोधन कराने का कष्ट करें।

2. समस्त अपर जिलाधकारी (वि0/रा0)/जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ कि उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए वर्तमान प्रचलित मूल्यांकन सूची में यथावश्यक परिवर्तन/संशोधन करवाना सुनिश्चित करें।

(संजीव दूबे)